(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 49/2022- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 08 सितम्बर, 2022

सा.का.नि.... (अ). - जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करने को आवश्यक बनाती हैं।

इसलिए, अब, केंद्र सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निर्देश देती है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्: -

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, -

(i) क्रमांक संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियां के बाद, निम्नलिखित क्रमांक संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"6क	1006 10	भूसी में चावल (धान या खुरदुरा)	20%
6ख	1006 20	भूसी (भूरा) चावल	20%";

(ii) क्रमांक संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियां के बाद, निम्नलिखित क्रमांक संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"7क	1006 30 90	अर्द्ध मिल्ड या पूर्ण मिल्ड चावल, पॉलिशड या ग्लेज़्ड हो या नहीं (पारबॉयल्ड चावल और बासमती चावल के अलावा)	20%";

2. यह अधिसूचना 09 सितम्बर, 2022 से लागू होगा ।

[फ. सं. सीबीआईसी-190354/242/2022-टीओ(टीआरयू-I)]

(विक्रम विजय वानरे)

अवर सचिव, भारत सरकार